न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–97 / 2021

1. यशपाल पुत्र श्री धनपत राम जाति जाट निवासी ग्राम झारोडा बुहाना जिला झुंझुनू।

वादीगण,

बनाम

1. श्री भगवान सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम परडोली बडी तहसील धोद जिला सीकरं
2. भू–धारक, राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार बेरवाल, वकील वादी की ओर से।

:**निर्णयः** दिनांकः–24/05/2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से कि वादी ने विभाजन हेतु मुख्य अनुतोष प्राप्त के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि राजस्व ग्राम परडोली पटवार हल्का सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नं 604 / 17 रकबा 0.7900 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी ने मौके पर विभाजन कर रखा है किन्तु राजस्व नक्शे व खातौनी में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी में मध्य विवाद तथा कृषि भूमि का सही सदउपयोग अपनी सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इत्यादि।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को तलब किया। आदेशिका दिनांक 06.12.2021 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कि खिलाफ न्यायालय में विधिवत तामील के एक माह पश्चात उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात् दिनांक 22.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार धोद को नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में बनाने हेतु निर्देशित किया।

तहसीलदार धोद के पत्रांक भू.अ. / 24 / 58 दिनांक 05 / 01 / 2024 को विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा तहसीलदार (भू.अ.) धोद द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारान को नोटिस जारी किये है तथा असालतन तामील हुई है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नं 604/17 रकबा 0.7900 है0 राजस्व ग्राम परडोली पटवार हल्का सिहोट छोटी तहसील धोद ग्रामीण की कृषि भूमि वादी का हिस्सा 135/158 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 23/158 के रूप में पक्षकारान अंकित है जिसका कोई प्रतिवाद नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य किया गया विभाजन को विभाजन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित कर एवं पृष्ठ संख्या 3 पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। जिससे न्यायालय संतुष्ट है एवं पक्षकारात भी सहमत है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करके डिक्री किया जाने योग्य है।

:आदेशः

परिणामतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार धोद द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./24/58 दिनांक 05/01/2024 निर्णय एवम् अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सीकर ग्रामीण अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर